

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - सुप्रिया  
(आर.ए.एस.)

मु0न0 :- 469/2022 उनवान जयसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगै0  
जयसिंह वादी  
बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार वगैरह ( प्रतिवादी)  
दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन  
--: निर्णय :-

दिनांक : 13.06.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 469/2022 उनवान जयसिंह वगै0 बनाम में वाद वादी दिनांक 25.04.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विसाऊ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने वाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2023/194 दिनांक 17.05.2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम पिलानी खुर्द की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 2.70 हैक्टर, 111रकबा 2.81 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	राकेश पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा. देह खातेदार	70/1	1.35	बारानी 1
	योग			
2	रामप्रताप पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह	किता 01	1.35	बारानी 1
		70/2	1.35	बारानी 1
	योग			
3	सुनिल पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह खातेदार	किता 01	1.35	बारानी 1
	राहिन एसबीआई मण्डावा	111/1	1.38	बारानी 2
4	जयसिंह पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह राहिन			
	एसबीआई मण्डावा	111/3	1.38	बारानी 2
5	सुनिल, जयसिंह पिता पूर्णराम राहिन एसबीआई			
	मण्डावा	111/2	0.05	गै.मु. रास्ता
	योग:-			
		03	2.81	

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलिय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा  
जिला झुन्झुनू

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- सुप्रिया  
(आर.ए.एस.)

दावा बावत घोषणार्थ एवं वंटवारा  
अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :- 1. :- 469/2022 उनवान जयसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगै0

यह मुकदमा आज वारते इफिसला कतई रूवरू, सुप्रिया(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुद्दई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.06.2024 निर्णय वाद वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम पिलानी खुर्द की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 2.70 हैक्टर, 111रकबा 2.81 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	राकेश पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा. देह खातेदार	70/1	1.35	बारानी 1
	योग	किता 01	1.35	बारानी 1
2	रामप्रताप पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह	70/2	1.35	बारानी 1
	योग	किता 01	1.35	बारानी 1
3	सुनिल पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह खातेदार राहिन एसबीआई मण्डावा	111/1	1.38	बारानी 2
4	जयसिंह पुत्र पूर्णराम जाति नायक सा.देह राहिन एसबीआई मण्डावा	111/3	1.38	बारानी 2
5	सुनिल, जयसिंह पिता पूर्णराम राहिन एसबीआई मण्डावा	111/2	0.05	गै.मु. रास्ता
	योग:-	03	2.81	

मीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.06.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा